BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विधानसभा और विधानपरिषद् की तुलना तथा दोनों का पारस्परिक संबंध

विधानसभा एवं विधानपरषिद् की तुलना तथा दोनों के पारस्परिक संबंध का निम्न प्रकार हैं :–

1. **नामाकरण के संबंध में** – विधानमण्डल के दो अंग विधानसभा एवं विधानपरिषद् हैं। विधानसभा को विधानमण्डल का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन तथा विधानपरिषद् को विधानमण्डल का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन कहा जाता है।
2. **प्रतिनिधित्व** – विधानसभा राज्य की समस्त जनता की प्रतिनिधि है एवं इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, विधानपरिषद् में कुछ विशेष वर्गो का प्रतिनिधित्व है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।
3. **सदस्य संख्या** – विधानसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर है। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है परन्तु विधानपरिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3(एक तिहाई) है तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी।
4. **कार्यकाल** –विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है। विधानपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का होता है जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते हैं।
5. **पदाधिकारी** – विधानसभा के दो पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं तथा विधानपरिषद् के दो पदाधिकारी सभापति और उपसभापति हैं।

6. **वित्त के संबंध में** – धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। विधानसभा से स्वीकृत धन विधेयक विधानपरिषद् को भेजा जाता है तथा विधानपरिषद् 14 दिनों के भीतर संशोधन सहित विधेयक वापस कर देती है। उन संशोधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। यदि विधानपरिषद् 14 दिनों के भीतर वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। अनुदान की मॉगों पर मतदान केवल विधानसभा में ही होता है।
7. **राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में** – विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परन्तु विधानपरिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
8. **संविधान संशोधन** – संविधान के कुछ विशेष उपबन्धों पर संशोधन की पुष्टि राज्य विधानमण्डल करता है। इस प्रकार संविधान संशोधन के मामले में विधानमण्डल के दोनों सदनों की स्थिति समान है।
9. **कानून निर्माण के क्षेत्र में** – साधारण विधेयक विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं परन्तु वे विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होना चाहिए। विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् विधानपरिषद् उसे अस्वीकृत कर दे अथवा उसमें संशोधन करे, जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं हो अथवा परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह तक उसे पारित न किया जाय तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधानपरिषद् के पास भेजती है। अगर विधानपरिषद् विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है या उसमें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं हो अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से एक माह तक विधेयक पारित नहीं करती है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। इस प्रकार साधारण विधेयक को विधानपरिषद् अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। अवित्तीय विषयों पर कानून निर्माण के संबंध में भी विधानमण्डल के दोनों सदनों की समान स्थिति नहीं है। सामान्य विधेयक पर अन्तिम शक्ति विधानसभा के पास है।
10. **कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में** – राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानपरिषद् के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद् के विरूद्व अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत करने का कार्य विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है।